

संख्या 2-3/87-उद्यान-1
निदेशालय उद्यान विभाग
हिमाचल प्रदेश

DHHP
1988

प्रेषक:

डा० के.सी.आजाद
निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

प्राप्त:

1. समस्त नियन्त्रण अधिकारी,
उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त अन्य कार्यालयाध्यक्ष,
उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश।
3. अन्य राजपत्रित अधिकारी,
उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश।

§ नाम द्वारा §

दिनांक शिमला -171002.

विषय:-

उद्यान विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम।

-x-

महोदय,

विभाग में निम्नलिखित प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पदों के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम सरकार की अधिसूचना संख्या उद्यान-क३३4/81-11, दिनांक 6.2.1988 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं जिनकी एक-एक प्रति आपको सूचनार्थ भेजी जाती है तथा अनुरोध किया जाता है कि इसे अपने स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को परिचालित कर दिया जाये :-

1. निदेशक उद्यान विभाग,
2. आतिरेकत निदेशक उद्यान विभाग,
3. संपुक्त निदेशक उद्यान / प्रोजेक्ट निदेशक § समन्वयक§,
4. उप निदेशक उद्यान / प्रोजेक्ट समन्वयक,
5. फल प्रयोग विज्ञ,
6. वॉरन्ट विपणन अधिकारी,
7. उद्यान अर्थ-शास्त्री,
8. उप निदेशक उद्यान § सूचना§,
9. वॉरन्ट पौध संरक्षण अधिकारी,

भवदीय,

निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

लगातार

संख्या 2-3/87-उद्यान। दिनांक शिमला -171002.
प्रौद्योगिकी विभाग की प्रति लिखित सहित :-

1. श्री पी० सी० पंवर, प्रधान, राजपत्रित अधिकारी, स. पहा, भूमि क्षेत्र तथा पानी विकास परियोजना, हिमाचल प्रदेश, १५०९९०९६०१ सन विद्युत भवन, कार्ट रोड, शिमला -171001,
2. श्री ए० एस० राणा, महासचिव, हिमागा, कार्यालय उप निदेशक कृषि, नाहन, जिला सिरमौर १६०९०१, को सूचनार्थ प्रेषित है।

१३३३-३-३३
23.3.1988.

निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

हिमाचल प्रदेश सरकार
" उद्यान विभाग "

" अधिसूचना "

संख्या उद्यान-क० 3४/81-11

दिनांक शिमला-2 6.2.1988.

भारतीय सौवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग हि०प्र० की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में निदेशक उद्यान विभाग श्रेणी-1 राजपत्रित वेतनमान 2500-2750 रु पद के लिये भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो इस विभाग की अधिसूचना सं० उद्यान-क० 3४/81-11, दिनांक 3.9.1987 द्वारा अधिसूचित किये गए थे को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न अनुबन्ध-1 के अनुसार निदेशक वर्ग प्रथम राजपत्रित के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस केआगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं० 25-5/69-होर्ट्सैक्ट दिनांक 19.12.71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किये गये संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाये गये भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी।

सौवधान नाम और प्रारम्भ ॥1॥ यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम राजपत्रित सेवार्थ नियम 1988 कहलायेंगे।
॥1॥ यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

एस०एम०कवर
कोष उत्पादन आयुक्त एवं सचिव
उद्यान हि०प्र० सरकार

संख्या उद्यान-क० 3४/81-11 दिनांक शिमला-2, 6.2.1988

प्रोत्तोलोप निम्नलिखित को प्रेषित है :-

- 1॥ समस्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव हि०प्र० शिमला-2,
- 2॥ समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
- 3॥ निदेशक उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
- 4॥ सचिव, लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 14/71-पी०एस०सी० दिनांक 17.3.1987 के संदर्भ में प्रेषित है।
- 5॥ उप नियन्त्रक मुद्रण तथा लेख सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को आसाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रस्तुत है।
- 6॥ 100 ओत्तोरिक्त प्रोत्तियां।

हस्ता/- 6/2
उप सचिव उद्यान
हिमाचल प्रदेश सरकार।

1. पद का नाम : निदेशक उद्यान
2. पद की संख्या : एक
3. वर्गीकरण : श्रेणी-1 § राजपत्रित §
4. वेतन मान : रुपये 2500-2790
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है । प्रवरण
6. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा : 45 वर्ष तथा इस से कम

उपबान्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हैं ।

आगे उपबान्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो इसे निर्धारित आयु सीमा में उस आधार पर छूट दी जायेगी ।

आगे उपबान्धित है कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत अनुमत हैं ।

आगे उपबान्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत्त निकायों के लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारियों थे, को भी सरकारी कर्मचारियों की भाँति सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे / हो, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों / स्वायत्त निकायों में अन्तर्लीत हो गये हों ।

टिप्पणी :-

1. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये निश्चित अन्तिम तिथि की गिनी जायेगी ।
2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु सीमा तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।

....2.....

7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यताएँ ।

अनिवार्य:-

- § 1§ उद्यान में एम.एस.सी. तथा इसके साथ पोमोलॉजी में विशेषज्ञता या इसके समकक्ष ।
§ 2§ पहाड़ी क्षेत्र के उद्यान विकास में कम से कम दस वर्ष का अनुभव तथा इसके साथ 5 वर्ष उत्तरदायी प्रशासनिक पद पर 5 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय:-

हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज भाषा और संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता ।

8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ।

आयु----- नहीं ।

शैक्षणिक योग्यता:- लागू होगी ।

9. पारवीजा की अवधि यदि कोई हो ।

दो वर्ष की पारवीजा अवधि जिसकी कि सज़म प्राधिकारों के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रातिनयुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रातिशतता ।

पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।

11. पदोन्नति/प्रातिनयुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रातिनयुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।

अतिरिक्त निदेशक उद्यान से से पदोन्नति द्वारा

....3.....

...3...

टिप्पणी :-1

पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31.12.83 तक आपोक्त पद पर तदर्थ सेवा का गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवाध में ऐसा सेवा की अवाध को गिना जायेगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्ते कि:-

॥क॥ उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा कि एक कानिष्ठ प्रत्याशी 31.12.83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पर पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो तत्सम्बन्धी वर्ग संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कानिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे ।

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचारधीन हो वे कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम् पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवाध हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हों ।

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/ प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार अनुपयुक्त आयोज्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कानिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये आयोज्य समझे जायेंगे ।

॥ख॥ इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों के लिये भी 31.12.83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवाध में जोड़ा जायेगा ।

उपबन्धित है कि इस प्रकार तदर्थ सेवा सम्मिलित करके स्थाईकरण करने पर भी परस्पर वरिष्ठता में परिवर्तन न आने पायें ।

॥ग॥ 31.12.83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाईकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी :-2

जब कभी नियम-2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किये जायेंगे ।

...4...

....4....

12. यदि विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी विद्यमान है तो इसकी रचना क्या है । जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जायेगी ।
13. पारोस्थानियों जिसमें भर्ती के लिये विभागीय प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा । जैसा कि विधियों के अधीन अपेक्षित है ।
14. संधी-भर्ती के लिये आवश्यक योग्यताएँ :- उपर्युक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्नलिखित का होना आवश्यक है :-

॥ क॥ भारतीय नागरिक या

॥ ख॥ नेपाल की प्रजा या

॥ ग॥ भूटान की प्रजा या

॥ घ॥ विस्थापित तिब्बती जो कि एक जनवरी, 1962 के उद्देश्य से आया हो ।

॥ ङ॥ भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त गणतन्त्र कीनिया, युगांडा, तंजानिया ॥ इससे पूर्व तामानीका और फंजीबा जाँवेया, मालवी, लेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो ।

उपबन्धित है कि वर्ग ख, ग, घ और ङ से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, को भी विभागीय प्रदेश / लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित जाकात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/विभागीय प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता के आवश्यक प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जायेगा ।

.....5.....

15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हेतु चयन ।

सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्त के लिये चयन और परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधिकारी अथवा उचित समझें जो लिखित परीक्षा अथवा व्यवहारिक के आधार पर किया जायेगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

7

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित पारिवारों इत्यादि के लिये सेवायें में हेमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होंगी ।

17. शोषित करने की शक्ति ।

जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो उसके कारणों के अंकित करके हेमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त करके किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों में किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

Authorised English Text of this Department Notification No. Udayan-Ka(3)4/81-II, dated the 6th February, 1988 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India).

DHHP
1988

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
HORTICULTURE DEPARTMENT

No. Udayan-Ka(3)4/81-II

Dated Shimla-2, the 14.3.88

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, H.P., in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for Class-I (Gazetted) posts of Director of Horticulture, in the pay scale of Rs. 2500-2750, in the Department of Horticulture as at Annexure-I, in supersession of this department notification of even number dated 3.9.87. The Governor, H.P. is further pleased to repeal R&P Rules for the aforesaid post notified vide Notification No. 25-5/69-Hort. (Sectt.) dated 9.12.71 and amendments carried out thereof from time to time provided that such repeal shall not effect the previous operation of the said Rules or anything done or any action taken there under shall be deemed to have been validly done or taken under those rules:-

i) Short Title & Commencement.

(i) These Rules may be called H.P. Hort. Deptt. Class-I (Gaz.) Services R&P Rules, 1988.

(ii) These Rules shall come into force on the date these are published in the Govt. Gazette.

(S. M. Kanwar)
Agriculture Production Commr.-cum-Secretary(Hort.) to the Government of Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2, the 14.3.88.

NO: Udayan-Ka(3)4/81-II

Copy forwarded to:-

1. All the Secretaries/Jt. Secretaries/Dy. Secretaries/Under Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary HP, Public Service Commission, Shimla-2, for information with reference to their letter No. 14/71-PSC, dated 17th March, 1987.
3. All the Heads of Department in Himachal Pradesh.
4. The Director of Horticulture Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. The Controller of Printing & Stationery, Himachal Pradesh Govt. Press Shimla-5, for publication in the extra-ordinary Gazette of HP, Rajpatra, immediately. He is requested to make available 100 copies of these rules to this Department.

Sd/-
Deputy Secretary(Hort.) to the Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002.

ANNEXURE-I

Recruitment and Promotion Rules for the post of Director of Horticulture in the Department of Horticulture, in H. P. Govt.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Name of the post: | Director of Horticulture, |
| 2. Number of posts: | One. |
| 3. Classification: | Class-I (Gazetted). |
| 4. Scale of pay: | Rs. 2500-2750. |
| 5. Whether selection post or non-selection post: | Selection. |
| 6. Age for direct recruitment: | 45 years and below. |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the proscribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Castes/Schedule Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh, Government.

Provided further that the employee of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in Public sector Corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after initial constitution of the public sector Corporations/autonomous bodies.

Note:-1 Age limit for direct recruitment will be reckoned from the last date fixed for receipt of application by the Commission.

Note:-2 Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

:-
Essential: (i) M. Sc. in Horticulture with specialisation in Pomology or its equivalent.

(ii) At least 10 years experience of Horticulture Development in hilly area including 5 years experience on a responsible administrative Post.

Desirable Qualifications:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

Age: No.

Educational Qualification: Yes.

9. Period of probation if any.

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputations transfer and the percentage of vacancies to be filled by various method.

By promotion failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment/ by promotion, deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation transfer is to be made.

By promotion from amongst Additional Director of Horticulture.

Note: In all cases of promotion adhoc service rendered in the feeder post upto 31.12.83, if any prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:-

a) That in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including

~~ad hoc service rendered upto 31.12.1983~~)
in the feeder post. In view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where at person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

(b) Similarly, in all cases of confirmation, ad hoc service rendered in the post upto 31.12.1983 if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that the inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account ad hoc service shall remain unchanged.

(C) Ad hoc service rendered after 31.12.83, shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note:- Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.

- | | |
|--|--|
| 12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition, | As may be constituted by the Government from time to time. |
| 13. Circumstances under which the HP, PSC, is to be consulted in making recruitment. | As required under the law. |
| 14. Essential Requirement for a direct recruit; | A candidate for appointment to any service or post must be:- |

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st Jan., 1962 with the intention of permanently settling in India.
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia Malawi Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be so consider necessary or expedient by a written test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation:

The appointment to his service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/^BBackward Classes/other categories of persons issued by the H. P. Govt. from time to time.

47. Power to relax,

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

18. Departmental Examinations.

(I) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:-

- i) Cross the efficiency bar next due,
- ii) Confirmation in the service even after completion of probationary period, and
- iii) Promotion to the next higher post.

Provided that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules, shall not be required to qualify the whole or in part of the examination as the case may be.

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st of March, 1976, shall be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules.

not

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1.3.1976, shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purposes of (i) Crossing the efficiency bar next due and (ii) confirmation in the service after completion of probationary period.

- 2. An officer on promotion to the higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

3. The Government may in consultation with the H.P. Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be reduced in writing, exemption in accordance with the Departmental Examinations Rules to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

...